प्रेस –नोट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पूर्णतया निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। यदि कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित एवं अवांछित साधनों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित या गुमराह करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। अभ्यर्थियों को भी सतर्क किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के भ्रामक प्रचार के बहकावे में नहीं आवे। नकल एवं प्रतिरूपण के प्रयास में पकडे जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है। यदि किसी अभ्यर्थियों को ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है तो अविलम्ब बोर्ड में दूरभाष नंबर 0141–2722520 पर सूचित करे ताकि उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष,
राजस्थान कर्मचारी चयन
बोर्ड, जयपुर